



Neutral Citation No. - 2026:AHC:172017

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 2546 वर्ष 2010

प्रवीण कुमार गौतम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : यतिन्द्र

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अमित स्थलेकर, मुख्य स्थायी अधिवक्ता, प्रदीप कुमार,
एस. पी. सिंह

न्यायालय संख्या - 34

(एस.एन. 13)

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता,

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री यतिन्द्र, प्रतिवादी संख्या 2, 3 एवं 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आशीष मिश्रा की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता श्री सारांश श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राजीव गुप्ता को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 01.12.2009 के आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता, जो चतुर्थ श्रेणी का

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कर्मचारी है, की सेवाएं दिनांक 05.11.2009 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार समाप्त कर दी गई थीं। इसी प्रकार का विवाद विशेष अपील संख्या 65 वर्ष 2010 में भी विचाराधीन था, जिसमें दिनांक 21.01.2010 को अंतरिम आदेश पारित किया गया था और समान स्थिति वाले व्यक्तियों को दिनांक 05.11.2009 को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाते हुए कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

3. विशेष अपील संख्या 65 वर्ष 2010 में पारित उपर्युक्त अंतरिम आदेश के अनुपालन में, वर्तमान याचिका में भी दिनांक 22.01.2010 को निम्नलिखित शर्तों में अंतरिम आदेश पारित किया गया:

“याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।

याचिकाकर्ता ने जनपद न्यायाधीश, कांशीराम नगर द्वारा जारी दिनांक 01.12.2009 के पत्र तथा दिनांक 07.12.2009 के प्रशासनिक आदेश को निरस्त किए जाने की प्रार्थना की है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि याचिकाकर्ता की नियुक्ति/नियोजन की प्रकृति ऐसी है कि वह विशेष अपील संख्या 65 वर्ष 2010 में पारित अंतरिम आदेश के दृष्टिगत सेवा में बने रहने का अधिकारी है।

उक्त विशेष अपील में दिनांक 21.01.2010 को निम्नलिखित आदेश पारित किया गया है:”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति, जिसे अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा दाखिल किया गया है, अभिलेख पर लिया जाता है।”

“हमने अपीलार्थियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक मिश्रा तथा प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. आर. सिरोही, जिनकी सहायता श्री एस. पी. सिंह द्वारा की गई, को सुना। प्रतिवादियों द्वारा प्रति-शपथपत्र दाखिल नहीं किया गया है।”

“तथापि, रजिस्ट्री द्वारा अभिलेख हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। हमने उक्त अभिलेखों का परिशीलन किया है। अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि दिनांक 14.09.2009 को समिति द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट के दृष्टिगत आगरा न्यायपालिका के कर्मचारी/अपीलार्थीगण तथा उत्तर प्रदेश राज्य के अन्य जनपदों की न्यायपालिकाओं के वे कर्मचारी, जो तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर तदर्थ एवं दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त किए गए थे और जिन्हें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण संबंधी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 के अंतर्गत रिक्त पदों पर नियमित किया गया था, उन्हें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कार्य करने से रोक दिया गया है। अपीलार्थीगण तदर्थ आधार पर उन्हें कार्यकाल आधारित नियुक्तियां प्रदान किए जाने के फलस्वरूप कार्य कर रहे थे। इनमें से तीन कर्मचारी वर्ष 1998 से, दो कर्मचारी वर्ष 2000 से तथा दो कर्मचारी वर्ष 2001 से कार्य कर रहे थे।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“हमारे समक्ष उपस्थित रजिस्ट्री के अधिकारीगण, अर्थात् श्री सलीम अहमद खान, संयुक्त रजिस्ट्रार (निरीक्षण), हमें यह नहीं बता सके कि उपर्युक्त नियमावली, 2001 को उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत किया गया है अथवा नहीं।”

“हम प्रतिवादियों को प्रति-शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश देते हैं, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं को स्पष्ट किया जाए:

1. क्या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण संबंधी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 को उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत किया गया है अथवा नहीं। यदि नियमावली, 2001 को उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है, तो ये नियम जनपद न्यायालयों पर किस प्रकार लागू होंगे; और यदि नियमावली, 2001 को उच्च न्यायालय द्वारा अंगीकृत किया गया है, तो उक्त नियमावली, 2001 उच्च न्यायालय की स्थापना के साथ-साथ जनपद न्यायालयों पर भी पूर्णतः प्रभावी होगी।”

2. क्या माननीय मुख्य न्यायाधीश ने समिति को उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त जनपद न्यायालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के सभी कर्मचारियों के संबंध में नीतिगत निर्णय की संस्तुति करने के लिए अधिकृत किया था, अथवा समिति को दिया गया प्राधिकार केवल उन कर्मचारियों के संबंध में था, जो तदर्थ आधार पर या कार्यकाल-आधारित नियुक्ति पर कार्यरत थे। यदि मुख्य न्यायाधीश द्वारा समिति को दिया गया प्राधिकार तदर्थ/कार्यकाल-आधारित नियुक्तियों के संबंध में था, तो समिति उन कर्मचारियों की नियुक्तियों पर विचार नहीं कर सकती थी, जो जनपद न्यायालयों में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नियमित आधार पर सेवा में लिए गए थे, भले ही उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तदर्थ या कार्यकाल-आधारित नियुक्ति रही हो।

3. रजिस्ट्री यह भी स्पष्ट करेगी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय नियमावली के अधीन जारी सामान्य पत्र तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्र में क्या अंतर है तथा दिनांक 05.11.2009 और 26.11.2009 को रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए पत्र सामान्य पत्र हैं अथवा उच्च न्यायालय के परिपत्र हैं।

4. क्या अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में नीतिगत निर्णय मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिया जा सकता है अथवा प्रशासनिक समिति द्वारा अथवा पूर्ण न्यायालय द्वारा?

रजिस्ट्री द्वारा दिनांक 28.01.2010 तक प्रति-शपथपत्र दाखिल किया जाए तथा अभिलेख हमारे समक्ष प्रस्तुत किए जाएं।

आगे की सुनवाई के लिए मामले को दिनांक 28.01.2010 को अपराह्न 2.00 बजे प्रस्तुत किया जाए।

“पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के पश्चात्, प्रथमदृष्टया हम अपीलार्थियों की ओर से प्रस्तुत तर्कों में बल पाते हैं। प्रथमदृष्टया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर के पदों पर तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण संबंधी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2001 वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है। यदि उक्त नियमावली लागू नहीं होती है, तो समिति की रिपोर्ट भी टिक नहीं

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पाएगी। इसके अतिरिक्त, तदर्थ/कार्यकाल-आधारित नियुक्त कर्मचारियों की सेवाएं लगभग आठ वर्ष से अधिक की अवधि तक सेवा में रहने के पश्चात्, उन्हें सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किए बिना समाप्त नहीं की जा सकती थीं। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दिनांक 05.11.2009 को जारी पत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि यह निर्देश जारी किया गया है कि तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के जिन कर्मचारियों की सेवाएं नियमित की जा चुकी हैं, उनकी सेवाएं भी समाप्त कर दी जाएं तथा उनसे सेवाएं लेनी बंद कर दी जाएं। दिनांक 05.11.2009 का उक्त आदेश प्रथमदृष्टया मनमाना तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता हुआ प्रतीत होता है। अतः अपीलार्थी अंतरिम आदेश प्राप्त करने के अधिकारी हैं।”

“इस न्यायालय के अगले आदेश तक, सिविल विविध रिट याचिका संख्या 62910 वर्ष 2009 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 04.01.2010 के आदेश का क्रियान्वयन, तथा रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा तदर्थ तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्तियों के संबंध में जारी पत्र संख्या एल.एन.14763/प्रशासनिक (डी) अनुभाग/इलाहाबाद, दिनांक 05.11.2009 और स्पष्टीकरण पत्र संख्या 15968/प्रशासनिक (डी) अनुभाग, इलाहाबाद, दिनांक 26.11.2009 के प्रभाव एवं क्रियान्वयन तथा इस संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा गठित समिति के समक्ष चल रही आगे की कार्यवाही स्थगित रहेगी।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“खंडपीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेश के अनुसरण में, दिनांक 01.12.2009 एवं 07.12.2009 के आदेशों का क्रियान्वयन न्यायालय के अगले आदेश तक स्थगित रहेगा तथा याचिकाकर्ता को सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी।

प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अमित स्थलेकर तीन सप्ताह के भीतर प्रति-शपथपत्र दाखिल कर सकते हैं। इसके पश्चात् एक सप्ताह के भीतर प्रत्युत्तर-शपथपत्र दाखिल किया जा सकता है।

तत्पश्चात् मामला सूचीबद्ध किया जाए।”

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तत्पश्चात् उक्त विशेष अपील संख्या 65 वर्ष 2010 को इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा खारिज कर दिया गया, जिसके विरुद्ध समान स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 10316 वर्ष 2013 दाखिल की गई। दिनांक 05.03.2013 के अंतरिम आदेश द्वारा विशेष अपील संख्या 65 वर्ष 2010 में इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय एवं आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई। तत्पश्चात्, उपर्युक्त विशेष अनुमति याचिका को बाद में सिविल अपील संख्या 630 वर्ष 2017 में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका निस्तारण माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2025 के निर्णय एवं आदेश के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों में किया गया:

“पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



ये दोनों अपीलें उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित एक जनपद न्यायालय की स्थापना में कार्यरत सात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त किए जाने से उत्पन्न हुई हैं। इन कर्मचारियों को 14 जुलाई, 1998 से 27 जून, 2001 के बीच विभिन्न तिथियों पर नियुक्त किया गया था। वे निरंतर सेवा में बने रहे और केवल इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 26 नवंबर, 2009 के प्रशासनिक आदेश के आधार पर ही उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसी कारण इन कर्मचारियों ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका दाखिल करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका खारिज कर दी। वर्तमान अपीलार्थियों द्वारा दाखिल विशेष अपील भी खारिज कर दी गई।”

“दिनांक 05 मार्च, 2013 को इस न्यायालय ने नोटिस जारी करते समय आक्षेपित आदेशों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी सेवा में बने रहे। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि सिविल अपील संख्या 630 वर्ष 2017 में इस बीच अपीलार्थी संख्या 5 की मृत्यु हो गई है।

दिनांक 08 फरवरी, 2024 को इस न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।”

अपीलों पर निर्णय किए जाने से पूर्व, यह उचित होगा कि प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य को निर्देश दिया जाए कि वह उत्तर प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण संबंधी (लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर के पदों पर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2021 के अनुसार अपीलार्थियों के मामलों पर विचार करे। अपीलार्थियों के मामलों पर विचार करते समय राज्य सरकार इस न्यायालय द्वारा सुनील कुमार शुक्ला एवं अन्य बनाम राजीव शुक्ला एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 156 एवं 157 वर्ष 2022) के मामले में दिनांक 05 जनवरी, 2022 को पारित आदेश को भी ध्यान में रखेगी।

अपीलार्थियों के मामलों पर विचार करने के पश्चात्, सरकार द्वारा आज की तिथि से छह सप्ताह की अवधि के भीतर उचित आदेश पारित किए जाएंगे, जिन्हें न्यायालय के अवलोकनार्थ अगली सुनवाई की तिथि पर प्रस्तुत किया जाएगा।

दिनांक 25 अप्रैल को सूचीबद्ध किया जाए।”

उक्त आदेश के अनुपालन में, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिनांक 24 जून, 2024 को आदेश पारित करते हुए सिविल अपील संख्या 630 वर्ष 2017 में अपीलार्थी संख्या 5 को छोड़कर सभी अपीलार्थियों की सेवाओं को नियमित कर दिया। राज्य सरकार के उक्त आदेश के आधार पर, उत्तर प्रदेश के आगरा के विद्वान जनपद न्यायाधीश ने दिनांक 08 जुलाई, 2024 को आदेश पारित करते हुए सिविल अपील संख्या 630 वर्ष 2017 में अपीलार्थी संख्या 5 को छोड़कर अन्य सभी अपीलार्थियों की सेवाओं के नियमितीकरण का निर्देश दिया।

दिनांक 08 जुलाई, 2024 के आदेश के खंड 4 से 6 निम्नवत् हैं:”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



“04. उपर्युक्त नियमितीकृत कर्मचारियों की नियुक्ति को संबंधित सेवा नियमावली आदि के अधीन मौलिक रूप से की गई नियुक्ति माना जाएगा तथा शासनादेश संख्या 542/सात-न्याय-2-2024-2466/2019, न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय), लखनऊ, दिनांक 24.06.2024 के अनुसार नियुक्त कर्मचारी नियुक्ति आदेश की तिथि से ज्येष्ठता के हकदार होंगे और ऐसे सभी मामलों में उपर्युक्त नियमितीकृत कर्मचारियों को उसके नीचे रखा जाएगा।

संबंधित सेवा नियमावली के अधीन पूर्व में नियुक्त अथवा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों तथा मौलिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को समस्त सेवाजन्य लाभ प्रदान किए जाएंगे।

5. चूंकि समस्त चतुर्थ श्रेणी के नियमितीकृत कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आ जाएंगे, क्योंकि उनकी प्रथम तदर्थ नियुक्ति 01 अप्रैल, 2005 से पूर्व की है, अतः उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 1877/79-वी-1-2020-2का.-20-2020, दिनांक 21.10.2020 को परिपत्र संख्या 18/VII B-104 प्रशासनिक डी, दिनांक 25.05.2005 के साथ पढ़े जाने पर, उपर्युक्त कर्मचारियों की सेवा में रही अंतराल अवधि को पेंशन के प्रयोजनार्थ उनकी कुल सेवा अवधि में सम्मिलित किया जाएगा।

6. चूंकि उपर्युक्त कर्मचारियों का नियमितीकरण तीन वर्ष से अधिक की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने के पश्चात् किया जा रहा है, अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सर्विस सिंगल संख्या 2710 वर्ष 2015, श्रीमती संतोष कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, के मामले में दिनांक 08.02.2016 को पारित आदेश के अनुपालन में,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



नियमितीकृत कर्मचारी उस पद पर परिवीक्षा पर नहीं रहेगा, जिस पद पर उसका नियमितीकरण किया गया है। यह व्यवस्था माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लंबित सिविल अपील संख्या 629 वर्ष 2017 में पारित किए जाने वाले आदेश के अधीन होगी।

“इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रशासन की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश तथा विद्वान जनपद न्यायाधीश द्वारा उस पर की गई कार्रवाई के संबंध में कुछ आपत्तियां हैं। जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, अपीलार्थियों की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित अपीलार्थियों की नियुक्ति के आठ वर्ष से अधिक समय पश्चात् की गई थी। अब, जबकि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण संबंधी (लोक सेवा आयोग के क्षेत्राधिकार से बाहर के पदों पर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2021 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनकी सेवाओं को नियमित कर दिया है, तब हम यह समझ पाने में असमर्थ हैं कि उच्च न्यायालय के प्रशासन को किस बात पर आपत्ति हो सकती है, विशेष रूप से तब, जब संबंधित सभी अपीलार्थियों ने जनपद न्यायालय की स्थापना में 20 वर्ष से अधिक समय तक कार्य किया है।”

“राज्य सरकार द्वारा पारित नियमितीकरण के आदेश तथा उत्तर प्रदेश के आगरा के विद्वान जनपद न्यायाधीश द्वारा उस पर की गई कार्रवाई के दृष्टिगत, अब इन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सिविल अपीलों में कोई और आदेश पारित किए जाने का कोई कारण नहीं है।
तदनुसार, इन सिविल अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

हम यह स्पष्ट करते हैं कि यद्यपि नियमितीकरण के आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त नियमितीकरण इन अपीलों के परिणाम के अधीन रहेगा, तथापि इन अपीलों के निस्तारण के पश्चात् भी नियमितीकरण का उक्त आदेश वैध एवं प्रभावी बना रहेगा।”

5. इस दृष्टिकोण से, जहां तक दिनांक 05.11.2009 के आदेश तथा दिनांक 26.11.2009 के स्पष्टीकरण के अनुसरण में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता की सेवा समाप्त किए जाने से संबंधित विवाद का प्रश्न है, वह दिनांक 13.02.2025 के निर्णय एवं आदेश द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहले ही निर्णीत हो चुका है।
6. इस दृष्टिकोण से, चूंकि याचिकाकर्ता वर्तमान याचिका में पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में विगत 16 वर्षों से पहले ही सेवा में कार्यरत है तथा दिनांक 01.06.2013 को जनपद न्यायाधीश, कांशीरामनगर द्वारा पारित आदेश के अनुसार उसकी सेवाएं नियमित की जा चुकी हैं, अतः अंतरिम आदेश को अंतिम रूप दिया जाता है। चूंकि याचिकाकर्ता की सेवाएं दिनांक 01.06.2013 के आदेश द्वारा पहले ही नियमित की जा चुकी हैं, अतः उक्त नियमितीकरण की एतद्वारा पुष्टि की जाती है। याचिकाकर्ता तदनुसार समस्त परिणामी लाभ प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उपर्युक्त के साथ, वर्तमान याचिका का निस्तारण किया जाता है।

दिनांक 14 अगस्त, 2026

शुभम आर्य

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

Translated Version. Not For Legal Use

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”